न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी श्री रजत यादव (आई.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 104/2025

1. नूर मोहम्मद पुत्र ईदू खां जाति मुसलमान
2. मनवर पुत्र ईदू खां जाति मुसलमान
3. मोती पुत्र ईदू खां जाति मुसलमान
4. याकूब पुत्र ईदू खां जाति मुसलमान

सर्वनिवासीगण ग्राम चीताखेडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज. –प्रार्थीगण

बनाम

1. सकराम पुत्र रामचंद्र जाति रेगर निवासी ग्राम चीताखेडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.
2. कमलापत्नी विजयकरण
3. कैलाश पुत्र विजयकरण
4. गोपाल पत्र विजयकरण
5. श्रीराम पुत्र विजयकरण

सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम चीताखेडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.

6. किशनी देवी पत्नी रतनलाल जाति जाट निवासी बजरंग कॉलोनी, मदनगंज–किशनगढ जिला अजमेर राज.
7. चैनाराम पुत्र पूषा जाति जाट
8. दयालराम पुत्र उगमा
9. मनभर पुत्री उगमा
10. रामचन्द्र पुत्र पन्ना
11. रामलाल पुत्र उगमा
12. रामेश्वर पुत्र पन्ना
13. लादू पुत्र नारायण
14. श्योचन्द पुत्र कालूराम
15. करण चौधरी पुत्र रामा उर्फ रामलाल
16. योगेन्द्र जाट पुत्र रामा उर्फ रामलाल
17. श्योराम पुत्र सुवा
18. संतोष पत्नी रामा उर्फ रामलाल
19. प्रेमचन्द पुत्र सुरजकरण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

सर्वजाति जाट सर्वनिवासी ग्राम चीताखेडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.

20. लक्ष्मण पुत्र सार्दुल

21. कमला पत्नी चन्दाराम

22. गोपाल पुत्र चन्दाराम

23. नोरत पुत्र सार्दुल

24. भागचन्द पुत्र सार्दुल

25. सोराज पुत्र चन्दाराम

26. छोटू पुत्र भैरू

27. बन्ना पुत्र श्रवण

28. भंवरी पत्नी छोटू राम

सर्वजाति गुर्जर सर्वनिवासी ग्राम चीताखेडा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.

29. प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कुचील

30. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ जिला अजमेर राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा — निर्णय दिनांक 25.08.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा के द्वारा अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि नया खाता संख्या 169 पुराना खाता संख्या 162 खसरा संख्या 47 रकबा 1.2701 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की खातेदारी की कृषि भूमि नया खाता संख्या 168 पुराना खाता संख्या 163 खसरा संख्या 395/42 रकबा 1.6180 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 1 के सहखातेदारी कृषि भूमि नया खाता संख्या 209 पुराना खाता संख्या 210 खसरा संख्या 403/54 रकबा 0.2184 हैक्टेयर ग्राम चीताखेडा पटवार हल्का खातोली, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खातोली, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त वर्णित खातेदारी की कृषि भूमि पर पद बदस्तुर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी का अमल दरामद है तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में भी प्रार्थीगण की भूमि का इन्द्राज चला आ रहा है। अप्रार्थीगण कृषि भूमियां जिनके खसरा संख्या 400/54, 42, 394/42,46, 48,402/54 है जो प्रार्थीगण की कृषि भूमियों के लगते हुए है तथा पडोस में स्थित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य आये दिन उपरोक्त भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

कर सीमा विवाद चलता रहता है, अप्रार्थीगण संख्या 01 से 28 आये दिन प्रार्थीगण की भूमियों में हस्तक्षेप करते रहते है जिससे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद का विषय बना रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 आये दिन प्रार्थीगण की कृषि भूमियों की सीमाओं से छेडछाड करते रहते है तथा उनकी कृषि भूमि की सीमाओं के संबंध में विवाद करते रहते है। उपरोक्त खसरा नम्बरान के मध्य सीमा विवाद होने की वजह से अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 आये दिन प्रार्थीगण के साथ उनकी खातेदारी भूमि पर विवाद उत्पन्न करने की वजह से प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 30 श्रीमान तहसीलदार महोदय किशनगढ़ के कार्यालय में सीमाज्ञान कराने हेतु आवेदन किया जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय, किशनगढ के आदेश कमांक/भू.अ./2846/13.05. 2025 (खसरा नं. 403/54) व आदेश कमांक / भू.अ./2846/13.05.2025 (खसरा नं. 395/42 व 47) दिनांक 13. 05.2025 से मौके पर पहुंचे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 ने मौके पर नाप चौक होने के बावजूद भी सीमाओं को लांघ कर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की सीमाओं में हस्तक्षेप जारी रखा। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 28 स्पष्ट खातेदारी रेवेन्यू रिकार्ड व ट्रेस में दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण को उपरोक्त राजस्व नक्शा ट्रेस अनुसार सीमाओं के विवाद के निस्तारण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अप्रार्थी संख्या 30 राजस्व रिकार्ड धारक है तथा राज्य सरकार का भू-अभिलेख प्रतिनिधि है एंव अप्रार्थी संख्या 29 के यहां अप्रार्थीगण की कृषि आराजी रहन है तथा प्रार्थीगण भाई-भाई है इसलिए सीमा विवाद एंव पत्थरगढी करवाने हेतु आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क चस्पा कर श्रीमान के समक्ष अविलम्ब सुनवाई हेतु प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि, प्रार्थीगण की भूमि नया खाता संख्या 169 पुराना खाता संख्या 162 खसरा संख्या 47 रकबा 1.2701 हैक्टेयर तथा प्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 की खातेदारी की कृषि भूमि नया खाता संख्या 168 पुराना खाता संख्या 163 खसरा संख्या 395/42 रकबा 1.6180 हैक्टेयर व प्रार्थी संख्या 1 के सहखातेदारी कृषि भूमि नया खाता संख्या 209 पुराना खाता संख्या 210 खसरा संख्या 403/54 रकबा 0.2184 हैक्टेयर ग्राम चीताखेडा पटवार हल्का खातोली, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खातोली, तहसील किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान में स्थित है की कृषि भूमि के चारो तरफ मुताबिक राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस, मौके पर काबिज काश्त के अनुसार नाप चौप करवा कर सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढी करवाये जाने हेतु आदेश प्रार्थीगण के पक्ष में प्रदान करावें एंव अप्रार्थी संख्या 36 को निर्देशित किया जावे कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना त्वरित गति से करने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2025 को दर्ज किया गया तथ अप्रार्थीगण की तलबी करवाई गई। दिनांक 09.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 से 05 व 07 से 30 के तामिलशुदा सम्मन प्राप्त हुये तथा अप्रार्थी संख्या 04,07, 11, 23, 24 उपस्थित हुये। दिनांक 11.08.2025 को वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 06 के रजिस्टर्ड डाक के सम्मन मय रसीद पेश किये। दिनांक 25.08.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 25.08.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 से 30 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 25.08.2025 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तर्को को दोहराया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम चीताखेडा स्थित भूमि खसरा संख्या 47 रकबा 1.2701 हैक्टेयर, खसरा संख्या 395/42 रकबा 1.6180 हैक्टेयर, खसरा संख्या 403/54 रकबा 0.2184 हैक्टेयर प्रार्थी खातेदारी की आराजी है तथा हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 20.05.2025 को वादअधीन भूमि का सीमाज्ञान किया गया है। प्रार्थी उक्त आराजी खसरा संख्या ग्राम चीताखेडा स्थित भूमि खसरा संख्या 47 रकबा 1.2701 हैक्टेयर, खसरा संख्या 395/42 रकबा 1.6180 हैक्टेयर, खसरा संख्या 403/54 रकबा 0.2184 हैक्टेयर के रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार होने से भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू.राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू. राज. अधि. को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम चीताखेडा स्थित भूमि खसरा संख्या 47 रकबा 1.2701 हैक्टेयर, खसरा संख्या 395/42 रकबा 1.6180 हैक्टेयर, खसरा संख्या 403/54 रकबा 0.2184 हैक्टेयर भूमि का मौके पर नाप चौप कर पत्थरगढ़ी करने हेतु तहसीलदार किशनगढ़ को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि वे मौके पर दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप चौप कर पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर फीस रूपये 2000/- अक्षरे दो हजार रू0 तय किये जाते है। तहसीलदार किशनगढ को कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये जातें है कि प्रार्थीगण द्वारा कमिश्नर शुल्क जमा करवाने के उपरान्त समस्त पडोसी खातेदारान को सूचना पत्र जारी करने के उपरान्त मौके पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें । पत्थरगढी की कार्यवाही में किसी भी प्रकार की बेदखली अथवा कब्जे छुडवाने से संबंधित कार्यवाही नहीं करें। यदि मौके पर प्रार्थी की भूमि अथवा निकटवर्ती राजकीय भूमि पर आंशिक या पूर्ण भाग पर किसी अन्य का कब्जा हो तो मौका पर्चा में इसका उल्लेख करते हुये प्रार्थी को नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करने हेतु सूचित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 25.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

रजत यादव (आई.ए.एस)

उपखण्ड अधिकारी

किशनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)